रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112026-278118
CG-DL-E-21112026-278118

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2026/कार्तिक 28, 1948
No. 346] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2026/KARTIKA 28, 1948

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2026

विषय: खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण स्कीम के संबंध में।

फा. सं. J-17011/276/2026-SP-V.—भारत सरकार ने भारत को उच्च गुणवत्ता वाली खेल सामग्रियों के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के विजन के तहत वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2033-34 तक की अवधि के लिए खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण स्कीम को अनुमोदित किया है।

2. केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल सामग्री के विनिर्माण, अनुसंधान तथा उपकरणों के डिजाइन और पदार्थ विज्ञान में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एक समर्पित पहल की घोषणा के अनुरूप, इस स्कीम का उद्देश्य भारत में खेल सामग्री विनिर्माण पारितंत्र को सुदृढ़ करना है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से खेलकूद और फिटनेस गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी तथा भारत में वर्ष 2030 में आयोजित होने वाली शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के कारण गुणवत्तापूर्ण खेल उपकरणों और खेल सामग्री की मांग में निरंतर वृद्धि होने की अपेक्षा है। नीति आयोग की रिपोर्ट "भारत के खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र की निर्यात क्षमता का दोहन" में भी भारत में खेल सामग्री के विनिर्माण और निर्यात क्षमताओं के विस्तार की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया गया है। तदनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत निवेश, विनिर्माण क्षमता, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, परीक्षण,

कौशल तथा बाजार विकास के लिए लक्षित सहायता प्रदान की गई है ताकि घरेलू खेल सामग्री विनिर्माण पारितंत्र को सुदृढ़ किया जा सके और वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके।

3. इस स्कीम में आठ घटक शामिल हैं।

(i) खेल सामग्री विनिर्माण ज़ोन की स्थापना हेतु सहायता

(ii) एंकर निवेश सहायता

(iii) टर्न ओवर आधारित सहायता

(iv) मौजूदा क्लस्टरों हेतु सहायता

(v) परीक्षण एवं प्रमाणन सहायता

(vi) अनुसंधान और कौशल विकास सहायता

(vii) स्टार्ट-अप हेतु सहायता

(viii) ब्रांडिंग और आउटरीच सहायता

4. इस स्कीम का कार्यान्वयन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट तंत्रों तथा विस्तृत परिचालन दिशानिर्देशों के माध्यम से किया जाएगा।

5. इस स्कीम का प्रशासन अनुमोदन एवं निगरानी समिति (एएमसी) के माध्यम से किया जाएगा जिसके अध्यक्ष खेल विभाग के सचिव होंगे। यह समिति, अन्य कार्यों के साथ-साथ, स्कीम के कार्यान्वयन एवं प्रगति की निगरानी करेगी।

6. स्कीम का अनुमोदित परिव्यय ₹1,856.67 करोड़ है, जिसमें ₹1,416.67 करोड़ प्रोत्साहनों, ₹415 करोड़ उपायों तथा ₹25 करोड़ प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए निर्धारित हैं।

7. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथाअनुमोदित इस स्कीम को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

हरि रंजन राव, सचिव

खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण स्कीम

1. विजन

इस स्कीम का विजन **"भारत को खेल सामग्री विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना"** है।

इस स्कीम में एकीकृत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल सामग्री विनिर्माण पारितंत्र के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर विनिर्माण करने, घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने तथा भारतीय विनिर्माताओं को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग में हो रही वृद्धि को पूरा करने में सक्षम बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्र की सतत् वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

2. स्कीम के घटक

इस स्कीम के विजन को साकार करने के लिए प्रतिस्पर्धी और वैश्विक रूप से एकीकृत खेल सामग्री विनिर्माण पारितंत्र के विकास में सहायता प्रदान करने हेतु एक व्यापक रूपरेखा की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के माध्यम से नई विनिर्माण क्षमता के सृजन, मौजूदा विनिर्माण क्षमताओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता एवं प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमताओं के विकास, अनुसंधान एवं कौशल को बढ़ावा देने, उभरते उद्यमों को सहायता प्रदान करने तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच

सुगम बनाने सहित इस क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में सहायता प्रदान की जाएगी। तदनुसार, इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

1. खेल सामग्री विनिर्माण ज़ोन की स्थापना हेतु सहायता
2. एंकर निवेश सहायता
3. टर्न ओवर आधारित सहायता
4. मौजूदा क्लस्टरों हेतु सहायता
5. परीक्षण एवं प्रमाणन सहायता
6. अनुसंधान और कौशल विकास सहायता
7. स्टार्ट-अप हेतु सहायता
8. ब्रांडिंग और आउटरीच सहायता

2.1. एंकर निवेश सहायता

2.1.1. एंकर निवेश सहायता उप-घटक का उद्देश्य ऐसे महत्वपूर्ण एंकर निवेशों को उत्प्रेरित करना है, जो निर्दिष्ट ज़ोन के भीतर व्यापक औद्योगिक विकास को गति प्रदान कर सकें। यह उद्यमों को पर्याप्त पूंजीगत व्यय करने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल देता है, जिससे मूल्यवर्धन, उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन और अगली पीढ़ी की विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना में योगदान मिल सके। एंकर निवेश सहायता का उद्देश्य सुव्यवस्थित वित्तीय सहायता के माध्यम से ऐसी बड़ी एंकर इकाइयों को आकर्षित करना है, जो एकीकृत आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण करने, पारितंत्र के विकास को सक्षम बनाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने में सक्षम हों।

2.1.2. इस उप-घटक के अंतर्गत, निर्दिष्ट एसजीएमजेड के भीतर न्यूनतम ₹100 करोड़ का निवेश करने वाले एंकर निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। न्यूनतम निवेश की यह आवश्यकता निवेशक द्वारा स्वयं अथवा निवेशक और उसकी सहायक इकाइयों के संयुक्त निवेश के माध्यम से पूरी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, कोई संस्था ₹50 करोड़ के निवेश से एक इकाई स्थापित कर सकती है और ₹12.5 करोड़ प्रत्येक का निवेश करने वाली चार सहायक इकाइयों को साथ ला सकती है, जिससे कुल ₹100 करोड़ की सीमा पूरी हो जाएगी। एचएस कोड (9506) के अंतर्गत आने वाले खेल उपकरणों का विनिर्माण करने वाले निवेशकों के लिए न्यूनतम आवश्यक निवेश ₹50 करोड़ होगी।

2.1.3. यह लाभ उन राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित खुदरा शृंखलाओं तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक ब्रांडों के लिए भी उपलब्ध होगा, जो अपने विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को एसजीएमजेड में लाएंगे। ऐसे मामलों में, इस उप-घटक के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए संबंधित खुदरा शृंखला/ब्रांड से जुड़े सभी विक्रेताओं द्वारा किए गए कुल निवेश की गणना की जाएगी। प्रति निवेशक ₹100 करोड़ की सीमा के अधीन, पूंजीगत व्यय के 20 प्रतिशत तक की पात्रता होगी। तथापि, इन दोनों ही परिस्थितियों में विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता स्वयं लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

2.1.4. ऐसे अत्याधुनिक उत्पादों जो भारत में नए हैं अथवा जिनका उपयोग अभी पर्याप्त रूप से नहीं हो रहा है, उन्हें 5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है बशर्ते इस प्रावधान के तहत प्रति निवेशक कुल सहायता ₹150 करोड़ की सीमा के भीतर हो। ऐसे उत्पादों में उन्नत सामग्री, अंतःस्थापित प्रणालियां, अभियांत्रिकीकृत उत्पाद डिजाइन तथा उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं, जो कार्यनिष्पादन, टिकाऊपन, सुरक्षा अथवा उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाती हैं। ऐसी सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन निर्धारित पात्रता मानदंडों तथा प्रौद्योगिकी, विनिर्माण क्षमता, बौद्धिक संपदा/स्वामित्वाधीन प्रौद्योगिकी, उत्पाद कार्यनिष्पादन और रणनीतिक महत्व को समाहित करने वाली साक्ष्य-आधारित तकनीकी स्कोरकार्ड के आधार पर किया जाएगा। अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु पात्रता निर्धारित करते समय एएमसी द्वारा नामित तकनीकी मूल्यांकन तंत्र की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

2.1.5. इस उप-घटक की अवधि के दौरान, इकाइयों को निवेश के मूल्य के तीन गुने के बराबर उत्पादन करना होगा।

2.1.6. यह उप-घटक केवल उन निवेशकों पर लागू होगा, जो किसी विशेष एसजीएमजेड की अधिसूचना की तिथि से पहले चार वर्षों के भीतर निवेश प्रारंभ करेंगे, इन्हें निवेश के पश्चात अधिकतम चार वर्षों की अवधि में, योजना की समग्र कार्यान्वयन अवधि के भीतर उत्पादन लक्ष्य हासिल करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम चार प्रमुख निवेशक ही इस लाभ के लिए पात्र होंगे।

2.1.7. भारत सरकार की किसी मौजूदा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम अथवा इसी प्रकार की स्कीमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले निवेशक इस उप-घटक के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र लिए नहीं होंगे।

2.1.8. प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाइयों को कम से कम 3 वर्षों तक वाणिज्यिक उत्पादन जारी रखने का वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐंकर निवेशक (अपनी सहायक इकाइयों अथवा विक्रेताओं सहित, यदि कोई हों) से अपेक्षा की जाती है कि वे उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात 100 रोजगार सृजित करेंगे।

2.1.9. इस उप-घटक के लिए कुल ₹460 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। निर्धारित निधि समाप्त होने तक यह सहायता उपलब्ध होगी।

2.2 खेल सामग्री विनिर्माण ज़ोन की स्थापना हेतु सहायता

2.2.1. खेल सामग्री विनिर्माण ज़ोन (एसजीएमजेड) की स्थापना हेतु सहायता उप-घटक के अंतर्गत निर्दिष्ट खेल सामग्री विनिर्माण ज़ोन के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य खेल सामग्री विनिर्माताओं को एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में साथ-साथ स्थापित होने तथा संकेंद्रण, साझा अवसंरचना, सामान्य सुविधाओं और सुदृढ़ मूल्य-शृंखला संपर्कों के लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाकर भारत के खेल सामग्री विनिर्माण पारितंत्र को सुदृढ़ करना है। एसजीएमजेड का विकास बीएचएवीवाईए और एनआईसीडीसी के अंतर्गत मौजूदा औद्योगिक अवसंरचना के साथ अभिसरण/सह-स्थापन के माध्यम से किया जाएगा।

2.2.2. इस स्कीम के अंतर्गत एसजीएमजेड का चयन चुनौती-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, परियोजना की तैयारी, मौजूदा औद्योगिक पारितंत्र, उद्योग की भागीदारी, निवेश की संभावना, रोजगार सृजन की संभावना, निर्यात की संभावना तथा खेल सामग्री विनिर्माण पारितंत्र को सुदृढ़ करने में प्रस्तावित योगदान जैसे मानदंडों पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभ में, खेल विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली अनुमोदन और निगरानी समिति (एएमसी) की सिफारिशों पर चरणबद्ध तरीके से अधिकतम दो एसजीएमजेड शुरू किए जाएंगे। कार्यान्वयन के अनुभव, मांग, कार्यनिष्पादन और निधियों की उपलब्धता के आधार पर आगे एसजीएमजेड घटक के विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

2.2.3. प्रत्येक प्रस्तावित एसजीएमजेड में कम से कम 300 एकड़ का भूमि-खंड होना चाहिए, जो किसी मौजूदा औद्योगिक संपदा/औद्योगिक क्षेत्र के भीतर हो अथवा उपयुक्त नवीन क्षेत्र के विकास के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। कम से कम 60 प्रतिशत भूमि खेल सामग्री विनिर्माण इकाइयों के लिए निर्धारित की जाए। शेष भूमि का उपयोग सामान्य सुविधाओं, रसद अवसंरचना, परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं, श्रमिक सुविधाओं तथा एकीकृत खेल सामग्री विनिर्माण पारितंत्र के विकास के लिए आवश्यक अन्य सहायक अवसंरचना हेतु किया जा सकता है।

2.2.4. मुख्य अवसंरचना, आंतरिक सड़कें, उपयोगिता सेवाएं, औद्योगिक शेड और पार्क-स्तरीय अन्य सुविधाओं जैसी औद्योगिक तथा सामान्य अवसंरचना सहित एसजीएमजेड का विकास, जहां लागू हो वहां बीएचएवीवाईए (भव्या) और एनआईसीडीसी के साथ अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे अभिसरण की कार्यप्रणाली, जिसमें उपयुक्त स्थानों की पहचान और पार्क-स्तरीय अवसंरचना का वित्तपोषण शामिल है, संबंधित प्राधिकरणों के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

2.2.5. चयनित एसजीएमजेड के भीतर पात्र अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए स्कीम के अंतर्गत ₹200 करोड़ की राशि का उपयोग किया जाएगा। ऐसी अवसंरचना में खेल सामग्री विनिर्माण मूल्य-शृंखला को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने

वाली सुविधाएं जैसे कि खेल सामग्री परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाएं, खेल उत्पाद डिज़ाइन और प्रतिरूप निर्माण केंद्र, सामान्य टूलिंग और मोल्ड-विकास सुनिधा, मैटेरियल कैरेकराईजेशन और कार्यनिष्पादन परीक्षण सुविधाएं, प्रदर्शन सुविधाएं तथा एएमसी द्वारा अनुमोदित अन्य क्षेत्र-विशिष्ट सुविधाएं। पात्र खेल-विशिष्ट अवसंरचना का दायरा तथा प्रत्येक एसजीएमजेड के लिए सहायता की राशि एएमसी द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

2.2.6 स्कीम के अंतर्गत, अनुमोदन एवं निगरानी समिति (एएमसी) द्वारा अनुमोदित निर्धारित वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर चरणबद्ध तरीके से खेल-विशिष्ट अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। विस्तृत पात्रता मानदंड, व्यय के अनुमन्य घटक, वित्तपोषण का प्रारूप, राशि जारी करने की प्रक्रिया, निगरानी संबंधी अपेक्षाएँ तथा अन्य परिचालन व्यवस्थाएँ स्कीम के दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट की जाएँगी।

2.2.7. इस उप-घटक के अंतर्गत चयनित खेल सामग्री विनिर्माण ज़ोन (एसजीएमजेड) के अतिरिक्त, इस प्रावधान के अंतर्गत अधिकतम दो अतिरिक्त एसजीएमजेड अधिसूचित किए जा सकते हैं। पात्र आवेदकों को एसजीएमजेड के रूप में अभिहित किए जाने हेतु अपने मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र के भीतर कम-से-कम 300 एकड़ भूमि का सीमांकन एवं निर्धारण करना होगा। तथापि, ऐसे अतिरिक्त एसजीएमजेड इस उप-घटक के अंतर्गत प्रोत्साहनों के लिए पात्र नहीं होंगे।

2.2.8 एसजीएमजेड के भीतर केवल स्कीम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उत्पाद-श्रेणियों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों को ही भूमि आवंटित की जाएगी। ऐसे सभी आवंटनों के लिए एएमसी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा तथा वे स्कीम के दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन होंगे।

2.2.9 इस उप-घटक के अंतर्गत कुल ₹200 करोड़ का वित्तीय परिव्यय अनुमानित किया गया है।

2.3 टर्न ओवर आधारित सहायता

2.3.1 टर्न ओवर आधारित सहायता उप-घटक के अंतर्गत, स्कीम की अधिसूचना की तारीख से पहले तीन वर्षों के भीतर निवेश प्रारंभ करने वाले निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। लगातार वर्षों में वृद्धिशील टर्न ओवर के क्रमशः 10%, 9%, 8%, 7% और 6% की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जो कुल निवेश के 15% की संचयी सीमा तथा कुल निवेश के 5% की वार्षिक सीमा के अधीन होगा। प्रोत्साहन की गणना के लिए किसी वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में टर्न ओवर में न्यूनतम 12% की वृद्धि होनी चाहिए। ब्राउनफील्ड निवेश के मामले में, पिछले 3 वर्षों के औसत टर्न ओवर में 12% की वृद्धि पर प्रोत्साहन दिया जाएगा; इसके बाद आगामी वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में टर्न ओवर में 12% की वृद्धिशील वृद्धि प्राप्त करने पर प्रोत्साहन देय होगा। ग्रीनफील्ड निवेश के मामले में, पहले वर्ष के लिए न्यूनतम टर्न ओवर कम-से-कम ₹0.5 करोड़ निर्धारित किया जाएगा; इसके बाद आगामी वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में टर्न ओवर में 12% की वृद्धिशील टर्न ओवर प्राप्त करने पर प्रोत्साहन देय होगा।

2.3.2. प्रोत्साहन केवल पात्र उत्पादों के शुद्ध टर्न ओवर पर ही स्वीकार्य होगा, जिसका विधिवत सत्यापन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और संबंधित बिक्री अभिलेखों के आधार पर सनदी लेखाकार के प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए (प्रक्रियात्मक पहलुओं का विवरण दिशा-निर्देशों में दिया जाएगा)। इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र उत्पादों में आईटीसी (एचएस) कोड 9506 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी वस्तुएँ शामिल होंगी। तथापि, निर्दिष्ट एसजीएमजेड के भीतर किए गए निवेशों के मामले में, स्कीम के अंतर्गत सभी विनिर्दिष्ट उत्पाद-श्रेणियाँ भी इस उप-घटक के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।

2.3.3. इस उप-घटक के अंतर्गत खेल सामग्री के विनिर्माण के लिए न्यूनतम ₹10 करोड़ का निवेश करने वाली कोई भी फर्म अथवा इकाई (भूमि और प्रशासनिक भवनों पर किए गए व्यय को छोड़कर) लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। इसके अतिरिक्त, यह अपेक्षित है कि पात्र इकाई परिचालन प्रारंभ करने के तीन वर्षों के भीतर कम-से-कम 30 रोजगार सृजित करे।

2.3.4. इस उप-घटक के अंतर्गत प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा रखने वाली लगभग 150 विनिर्माण इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए कुल ₹670 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।

2.4. मौजूदा क्लस्टरों हेतु सहायता

2.4.1. मेरठ और जालंधर जैसे पारंपरिक खेल सामग्री क्लस्टरों को लक्षित सहायता की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये स्थान परिपक्व एवं सुव्यवस्थित विनिर्माण पारितंत्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस उप-घटक के अंतर्गत, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आवश्यक मौजूदा क्लस्टर अवसंरचना के उन्नयन तथा साझा सुविधाओं के सृजन हेतु एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तावित है।

2.4.2. इस उप-घटक के अंतर्गत कुल प्रस्तावित व्यय ₹86.67 करोड़ है। यह सहायता इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि संबंधित राज्य सरकारें परियोजना लागत का कम-से-कम 50% योगदान करें।

2.4.3. ये हस्तक्षेप संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रस्तावों के आधार पर किए जाएँगे, जहाँ ऐसे क्लस्टर स्थित हैं। स्कीम के अधिसूचित होने के बाद इस उप-घटक को कार्यान्वित करने के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएँगे। इन प्रस्तावों की जाँच, मूल्यांकन किया जाएगा तथा विचार और अनुमोदन हेतु इन्हें अनुमोदन एवं निगरानी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

2.5. परीक्षण एवं प्रमाणन सहायता

2.5.1. परीक्षण एवं प्रमाणन सहायता उप-घटक के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय खेल परिसंघों से प्रमाणन प्राप्त करने तथा उसका नवीनीकरण कराने के लिए खेल सामग्री विनिर्माण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। प्रथम बार प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वास्तविक व्यय का 70% तक तथा नवीनीकरण के लिए वास्तविक व्यय का 50% तक सहायता प्रदान की जाएगी।

2.5.2. इस उप-घटक के लिए प्रस्तावित कुल वित्तीय परिव्यय ₹105 करोड़ है।

2.6. अनुसंधान और कौशल विकास सहायता

2.6.1. अनुसंधान और कौशल विकास सहायता उप-घटक के अंतर्गत, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों को खेल सामग्री विनिर्माण में अनुसंधान, विकास एवं नवाचार करने के लिए अपने परिसरों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे सीओई की स्थापना के प्रस्ताव निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र संस्थानों से आमंत्रित किए जाएँगे तथा उनकी जाँच और मूल्यांकन अनुमोदन एवं निगरानी समिति द्वारा किया जाएगा।

2.6.2. खेल सामग्री विनिर्माण से संबंधित अनुसंधान जैसे कि सामग्री विज्ञान, सुरक्षात्मक उपकरण, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के अनुप्रयोग, परिशुद्ध विनिर्माण, 3डी मुद्रण आदि के लिए सह-वित्तपोषण भी अनुसंधान नैश्नल रिशर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) के ढाँचे के अंतर्गत किया जाएगा।

2.6.3. खेल सामग्री के लिए उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय खेल परिसंघों के मानकों एवं प्रमाणन संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप अन्य सुविधाओं सहित समर्पित परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) का प्रावधान किया जाएगा।

2.6.4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास, कौशल उन्नयन संबंधी उपाय तथा इस क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति आधार तैयार करने हेतु उद्योग एवं प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग सहित खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्र के लिए कौशल विकास संबंधी पहलें की जाएँगी।

2.6.5. इस उप-घटक के लिए ₹210 करोड़ का समग्र परिव्यय प्रस्तावित है, जिसका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना, एएनआरएफ के अंतर्गत सहायता, परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए वीजीएफ के प्रावधान तथा कौशल विकास संबंधी पहलों के लिए किया जाएगा।

2.7. स्टार्ट-अप हेतु सहायता

2.7.1. स्टार्ट-अप हेतु सहायता घटक का कार्यान्वयन मौजूदा डीपीआईआईटी/स्टार्टअप इंडिया ढाँचे के साथ अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उत्पाद नवाचार, डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, उन्नत सामग्री, परीक्षण एवं सत्यापन तथा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कार्यरत स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान करने के लिए खेल सामग्री विनिर्माण हेतु एक समर्पित प्राथमिकता/चुनौती विंडो स्थापित की जाएगी। खेल विभाग, डीपीआईआईटी के परामर्श से प्राथमिकता वाले चुनौती क्षेत्रों की पहचान करेगा तथा मौजूदा स्टार्टअप इंडिया पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से पात्र स्टार्ट-अप की भागीदारी सुगम बनाएगा। लागू दिशानिर्देशों एवं वित्तपोषण की कार्यप्रणालियों के अधीन, पहचाने गए स्टार्टअप इंडिया / डीपीआईआईटी ढाँचे के माध्यम से प्रत्येक पात्र स्टार्ट-अप को ₹20 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस घटक के लिए ₹50 करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय प्रस्तावित है।

2.8. ब्रांडिंग और आउटरीच सहायता

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, बाजार तक पहुँच सुदृढ़ करने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए भारतीय खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उप-घटक के अंतर्गत आउटरीच गतिविधियों, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा ब्रांडिंग एवं जनसंपर्क संबंधी पहलों के माध्यम से क्षेत्र के सुव्यवस्थित संवर्धन का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के लिए ₹50 करोड़ का समग्र बजटीय परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

2.8.1. वैश्विक खेल सामग्री मेले एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ

इस उप-घटक के अंतर्गत भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर के वैश्विक खेल एक्सपो के आयोजन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। इन उपायों से घरेलू विनिर्माताओं को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने, व्यवसाय-से-व्यवसाय संपर्कों को सुगम बनाने तथा निर्यात संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एक मंच उपलब्ध होगा।

2.8.2. आउटरीच गतिविधियाँ

इस उप-घटक के अंतर्गत निवेशक संपर्क, रोड शो तथा खेल संबंधी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार मंचों के माध्यम से सहभागिता सहित आउटरीच गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। प्रयासों के दोहराव से बचने तथा निर्यात संवर्धन संबंधी पहलों की समग्र प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बीएसएम एवं आरबीएसएम से संबंधित गतिविधियों को, जहाँ भी संभव हो, निर्यात संवर्धन मिशन के साथ संरेखित किया जाएगा अथवा उसके माध्यम से संचालित किया जाएगा।

2.8.3. ब्रांड इंडिया अभियान

इस उप-घटक के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय खेल सामग्री एवं उपकरणों की एकीकृत 'ब्रांड इंडिया' पहचान को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग, वाणिज्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेगा। खेल सामग्री विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए चुनिंदा वैश्विक खेल सामग्री प्रदर्शनियों तथा अन्य व्यापक दृश्यता वाले मंचों पर एक समर्पित ब्रांडिंग अभियान चलाया जा सकता है। ऐसी गतिविधियाँ निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता की पूरक होंगी तथा उनका दोहराव नहीं करेंगी।

3. उत्पाद श्रेणियों की पहचान:

3.1. उत्पादों का विवरण:

3.1.1. इस स्कीम के अंतर्गत एचएस कोड 9506 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी खेल उपकरण और साथ ही पैरा खेलों सहित सभी खेलों तथा शारीरिक फिटनेस के लिए मुख्य रूप से आशयित और उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुएँ जैसे कि रेसिंग साइकिल, खेल पोषण उत्पाद, खेल संबंधी उपकरण, खेल परिधान, एथलीजर फुटवियर, हेडगीयर, सहायक उपकरण, खेल फर्श आदि, लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

3.1.2. प्रोटोटाइप, अंशांकन एवं मापन उपकरणों, डिजिटल एवं प्रदर्शन उपकरणों, विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तथा अन्य ऐसे उत्पादों, जिनका उपयोग मुख्य रूप से खेल गतिविधियों में किया जाता है अथवा जो सामान्यतः खेल गतिविधियों से संबद्ध होते हैं, भी इसके पात्र होंगे।

3.1.3. इस स्कीम में प्रमुख मशीनरी, घटकों, निवेश सामग्रियों तथा सब-असेंबलीज का विनिर्माण भी शामिल होगा, जिनका उपयोग मुख्य रूप से उपर्युक्त खेल वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है।

3.2. अनुमोदन तंत्र:

3.2.1. किसी विशिष्ट उत्पाद के संबंध में पात्रता निर्धारण का कोई प्रश्न उत्पन्न होने की स्थिति में, मामले को विचारण और उपयुक्त स्पष्टीकरण हेतु स्कीम के अंतर्गत गठित अनुमोदन एवं निगरानी समिति (एएमसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4. शासन तंत्र

4.1. खेल विभाग द्वारा सचिव, खेल विभाग की अध्यक्षता में एक अनुमोदन एवं निगरानी समिति (एएमसी) का गठन किया जाएगा, जो स्कीम के कार्यान्वयन एवं प्रगति की निगरानी करेगी तथा समय-समय पर उपयुक्त निदेश और आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगी। यह समिति सभी प्रस्तावों की जांच भी करेगी तथा उचित पाए जाने पर ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित करेगी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस समिति में नीति आयोग, वाणिज्य विभाग, डीपीआईआईटी, सीबीआईसी, आईएफडी, एमएसएमई के संयुक्त सचिव तथा उनसे उच्चतर स्तर के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि अथवा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/स्वायत्त निकायों/एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा उद्योग/शिक्षा जगत के 3 नामित सदस्य होंगे।

स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए एएमसी के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र निम्नलिखित होंगे:

पीएमए द्वारा अनुशंसित आवेदनों की जांच करना तथा स्कीम के अंतर्गत उपयुक्त निर्णय लेना।

लक्षित सेगमेंट के अंतर्गत पात्र उत्पादों की सूची का समय-समय पर अनुमोदन एवं पुनरीक्षण आदि करना।

निवेश, रोजगार सृजन, उत्पादन तथा घरेलू मूल्यवर्धन के संदर्भ में अनुमोदित आवेदकों की प्रगति की निगरानी करना।

लाभार्थियों के साथ गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने सहित स्कीम के अंतर्गत हुई प्रगति की निगरानी एवं पुनरीक्षण करना।

लक्षित सेगमेंट, प्रोत्साहन दरों आदि में परिवर्तन सहित स्कीम के दिशानिर्देशों में संशोधनों की सिफारिश करना।

स्कीम के प्रावधानों के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की स्थिति में, एएमसी का निर्णय अंतिम होगा।

अप्रत्याशित परिस्थितियों में यह स्कीम के विशिष्ट प्रावधानों में संशोधन करने अथवा उन्हें वापस लेने की सिफारिश कर सकती है।

5. प्रशासन

स्कीम के कुशल प्रशासन के लिए, एक समर्पित परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए)/परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) की स्थापना सहित, स्कीम के प्रशासन हेतु भी स्वीकृत राशि के **1.37%** तक का उपयोग किया जा सकता है।

6. स्कीम के संचालन हेतु दिशानिर्देश

खेल विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया तथा शिकायत निवारण तंत्र सहित स्कीम के प्रत्येक उप-घटक के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार एवं अधिसूचित किए जाएंगे। इन दिशानिर्देशों में पात्र कंपनियों/इकाइयों के चयन के मानदंड, स्कीम की प्रभावी निगरानी की प्रक्रियाएं, प्रोत्साहन राशि जारी करने की कार्यविधि तथा समन्वय की रूपरेखा निर्धारित की जाएगी।

7. **वित्तीय निहितार्थ**

खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय (वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2033-34 तक) (करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	घटक	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	2033-34	कुल
1	खेल सामग्री विनिर्माण ज़ोन की स्थापना हेतु सहायता	30	50	45	45	30	0	0	0	200.00
2	एंकर निवेश सहायता	0	1	40	83	142	118	56	20	460.00
3	टर्नओवर आधारित सहायता	0	0	50	160	220	110	80	50	670.00
4	मौजूदा क्लस्टरों हेतु सहायता	25	30	17	10	4.67	0	0	0	86.67
5	परीक्षण एवं प्रमाणन सहायता	2	12	19	23	35	14	0	0	105.00
6	अनुसंधान और कौशल विकास सहायता	26	27	55	61	41	0	0	0	210.00
7	स्टार्ट-अप हेतु सहायता	2	5	8	11	15	9	0	0	50.00
8	ब्रांडिंग और आउटरीच सहायता	12	25	1	11	1	0	0	0	50.00
क.	कुल	**97**	**150**	**235**	**404**	**488.67**	**251**	**136**	**70**	**1,831.67**
ख	प्रशासनिक व्यय	4	5	5.50	5	5.50	0	0	0	25.00
	कुल योग (क +ख)	**101**	**155**	**240.50**	**409**	**494.17**	**251**	**136**	**70**	**1,856.67**

स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 के दौरान सहायता प्रदान की जाएगी। तथापि, आगामी वर्षों में परिणाम-आधारित प्रोत्साहनों के संवितरण के कारण, प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु संबंधित वित्तीय व्यय स्कीम की कार्यान्वयन अवधि के पश्चात् भी वित्त वर्ष 2033-34 तक जारी रह सकता है

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2026

SUBJECT: KHELO INDIA SPORTS GOODS MANUFACTURING SCHEME – REG.

F. No. J-17011/276/2026-SP-V.—The Government has approved the Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme for the period F.Y. 2026-27 to F.Y. 2033-34 with the vision of developing India as a global hub for high-quality sports goods.

2. Aligned with the Union Budget 2026-27 announcement of a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design and material science, the Scheme seeks to strengthen India's sports goods manufacturing ecosystem. The growing participation in sports and fitness, supported by initiatives such as Khelo India and Fit India and hosting of the 2030 Centenary Commonwealth Games in India are expected to generate sustained demand for quality sports equipment and goods. NITI Aayog report "Realising the Export Potential of India's Sports Equipment Manufacturing Sector", also highlights the significant potential for expanding India's sports goods manufacturing and export capabilities. The Scheme accordingly provides targeted support for investment, manufacturing capacity, technology, research, testing, skills and market development to strengthen the domestic sports goods manufacturing ecosystem and enhance its global competitiveness.

3. The Scheme comprises eight components

i. Support for setting up Sports Goods Manufacturing Zones

ii. Anchor Investment Support

iii. Turnover Linked Support

iv. Support for Existing Clusters

v. Testing and Certification Support

vi. Research and Skill Development Support

vii. Support for Start-ups

viii. Branding and Outreach Support.

4. The Scheme shall be implemented by the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs & Sports, through the mechanisms prescribed herein and in the detailed operational guidelines.

5. The Scheme shall be administered through an Approval and Monitoring Committee (AMC), headed by the Secretary, Department of Sports, which shall, inter alia, monitor the implementation and progress of the scheme.

6. The approved outlay of the Scheme is ₹1,856.67 crore, comprising ₹1,416.67 crore for incentives, ₹415 crore for interventions and ₹25 crore for administration and implementation.

7. The Scheme, as approved by the Union Cabinet, is hereby notified for implementation with immediate effect.

HARI RANJAN RAO, Secy.

KHELO INDIA SPORTS GOODS MANUFACTURING SCHEME

1. Vision

The Vision of the scheme is ***"to establish India as a global hub for sports goods manufacturing".***

The scheme envisions the development of an integrated and globally competitive sports goods manufacturing ecosystem, with focus on building manufacturing scale, strengthening domestic value chains and enabling manufacturers based in India to meet growing domestic and international demand. The Scheme seeks to create an enabling environment for sustained growth and competitiveness of the sports goods manufacturing sector.

2. COMPONENTS OF THE SCHEME

To fulfil the vision of the scheme, a comprehensive framework has been envisaged to support the development of a competitive and globally integrated sports goods manufacturing ecosystem. The scheme provides support across the sector, covering creation of new manufacturing capacity, expansion and strengthening of existing manufacturing capabilities, development of quality and technology capabilities, promotion of research and skills, support to emerging enterprises and facilitation of domestic and international market access. Accordingly, the scheme shall comprise the following components:

1) Support for setting up Sports Goods Manufacturing Zones
2) Anchor Investment Support
3) Turnover Linked Support
4) Support for Existing Clusters
5) Testing and Certification Support
6) Research and Skill Development Support
7) Support for Start-ups
8) Branding and Outreach Support

2.1. ANCHOR INVESTMENT SUPPORT

2.1.1. The Anchor Investment Support sub-component aims to catalyse significant anchor investments that can trigger broader industrial growth within designated zones. It focuses on encouraging enterprises to undertake substantial capital expenditure that contributes to value addition, creation of productive assets and establishment of next-generation manufacturing capacities. Through structured financial support, Anchor Investment Support seeks to attract large anchor units capable of building integrated supply chains, enabling ecosystem development, and driving long-term competitiveness and innovation across sectors.

2.1.2. Under this subcomponent, financial support will be extended to Anchor Investors who invest a minimum of ₹100 crore inside designated SGMZs. This minimum investment requirement may be fulfilled either by the investor themselves or through the combined investment of the investor and their ancillary units. For example, an entity may set up a unit with an investment of ₹50 crore and bring four ancillary units investing ₹12.5 crore each, thereby meeting the overall ₹100 crore threshold. For investors engaged in the manufacturing of sports equipment falling under HS Code (9506), the minimum investment requirement shall be ₹ 50 crore.

2.1.3. This benefit will also be available to globally and nationally renowned retail chains and National and global brands that bring their vendors and suppliers into the SGMZ. In such cases, the total investment made by all vendors associated with that retail chain / brand will be counted for determining eligibility under the subcomponent. Eligible up to 20% of CAPEX,

subject to ₹100 crore per investor. However, in both these scenarios, the vendors or suppliers individually themselves will not be eligible for benefits.

2.1.4. An additional incentive of up to 5 percentage points may be provided for cutting-edge products that are new to, or substantially under-deployed in, India, subject to an overall assistance ceiling of ₹150 crore per investor under this provision. Such products may include advanced materials, embedded systems, engineered product designs, and advanced manufacturing processes that enhance performance, durability, safety, or user experience. Proposals seeking such support shall be evaluated against prescribed eligibility criteria and an evidence-based technical scorecard covering technology, manufacturing capability, IP/proprietary technology,

product performance, and strategic importance. Recommendations of the designated technical evaluation mechanism shall be considered by the AMC while determining eligibility for the additional incentive.

2.1.5. Over the duration of the subcomponent, the units must achieve production equivalent to three times the value of the investment.

2.1.6. The sub-component shall be applicable only to those investors who commence investment within the first four years from the date of notification of a particular SGMZ, with production targets to be achieved over a period of up to four years post-investment, within the overall implementation period of the scheme. Additionally, not more than four Anchor Investors will be eligible for this benefit in each zones.

2.1.7. Investors availing benefits under any Government of India existing Production Linked Incentive (PLI) scheme or similar schemes will not be eligible to receive incentives under this subcomponent.

2.1.8. Units receiving the incentive must provide an undertaking to remain in commercial production for at least 3 years. The Anchor Investor (along with its auxiliary units or vendors, if any) is desired to achieve 100 jobs post commencement of the production.

2.1.9. A total outlay of ₹460 crore has been earmarked for this sub-component. Support will be available till the earmarked funds are exhausted.

2.2. SUPPORT FOR SETTING UP – SPORTS GOODS MANUFACTURING ZONES

2.2.1. Under the Support for Setting up Sports Goods Manufacturing Zones (SGMZs) sub-component, financial support shall be provided for the development of designated Sports Goods Manufacturing Zones with the objective of strengthening India's sports goods manufacturing ecosystem by enabling sports goods manufacturers to co-locate within a designated geography and leverage the benefits of agglomeration, shared infrastructure, common facilities and stronger value-chain linkages. SGMZs shall be developed through convergence/co-location with existing industrial infrastructure under BHAVYA and NICDC.

2.2.2. Selection of SGMZs under the Scheme shall be undertaken through a challenge-based process, based on proposals submitted by eligible entities and evaluated against criteria such as availability of suitable land, project readiness, existing industrial ecosystem, industry participation, investment potential, employment generation potential, export potential and the proposed contribution to strengthening the sports goods manufacturing ecosystem. Initially, up to two SGMZs may be taken up in a phased manner on the recommendations of the Approval and Monitoring Committee (AMC), chaired by the Secretary, Department of Sports. Further scaling up of the SGMZ component may be considered based on

implementation experience, demonstrated demand, performance and availability of funds Sports.

2.2.3. Each proposed SGMZ shall preferably have a land parcel of not less than 300 acres, either within an existing industrial estate/industrial area or through development of a suitable greenfield zone. At least 60% of the land shall be earmarked for sports goods manufacturing units. The remaining area may be utilised for common facilities, logistics infrastructure, testing and certification facilities, worker amenities and other supporting infrastructure required for the development of an integrated sports goods manufacturing ecosystem.

2.2.4. The development of the SGMZ, including industrial and common infrastructure such as trunk infrastructure, internal roads, utilities, industrial sheds and other park-level facilities, shall be undertaken through convergence with BHAVYA and NICDC, as applicable. The modalities for such convergence, including identification of suitable locations and funding of park-level infrastructure, shall be worked out in consultation with the concerned authorities.

2.2.5. An amount of ₹200 crore under the Scheme shall be utilised for the development of eligible infrastructure and facilities within the selected SGMZs. Such infrastructure may include facilities directly supporting the sports goods manufacturing value chain, such as sports goods testing and certification laboratories and sports product design and prototyping centres, common tooling and mould-development facilities, material characterisation and performance-testing facilities, demonstration facilities as well as other sector-specific facilities approved by the AMC. The scope of eligible sports-specific infrastructure and the quantum of

support for individual SGMZs shall be determined on the basis of the approved Detailed Project Report (DPR) by the AMC.

2.2.6. Financial support under the Scheme for sports-specific infrastructure shall be released in a phased manner against achievement of prescribed physical and financial milestones, as approved by the AMC. The detailed eligibility criteria, admissible components of expenditure, funding pattern, release mechanism, monitoring requirements and other operational modalities shall be specified in the Scheme Guidelines.

2.2.7. In addition to the SGMZs selected under this sub-component, up to two additional SGMZs may be notified under this provision. Eligible applicants shall be required to demarcate and delineate a land parcel of not less than 300 acres within their existing industrial estate for designation as an SGMZ. However, such additional SGMZs shall not be eligible for incentives under this sub-component.

2.2.8. Land within an SGMZ shall be allotted only to units engaged in the manufacture of specified products lines under Scheme. All such allotments shall require the prior approval of the AMC and shall be subject to such conditions as may be specified in the Scheme Guidelines.

2.2.9. A total financial outlay of ₹200 crore has been estimated under this sub-component.

2.3. TURNOVER LINKED SUPPORT

2.3.1. Under the Turnover Linked Support subcomponent, financial support is proposed for investors who commence investment within the first three years from the date of notification of the scheme. The incentive will be provided at the rate of 10%, 9%, 8%, 7%, and 6% of incremental turnover in consecutive years, subject to a cumulative ceiling of 15% of the total investment with an annual ceiling of 5% of the total investment. For calculating incentives, the incremental turnover in any year compared to the previous year shall be minimum of 12%. In case of brownfield investment, incentive shall be paid on 12% increment on average turnover during the last 3 years; thereafter, for subsequent years, the incentives shall be paid on achieving an incremental turnover of 12% over the previous year. In the case of greenfield investments, minimum turnover for the first year shall be fixed at atleast ₹ 0.5 crore, thereafter, for subsequent years, the incentives shall be paid on achieving an incremental turnover of 12% over the previous year.

2.3.2. The incentive shall be admissible only on the net turnover of eligible products, duly verified and supported by certification from a Chartered Accountant based on audited financial statements and relevant sales records (procedural aspects shall be detailed out in guidelines). Eligible products under this category include all items classified under ITC (HS) code 9506. However, for investments made inside the designated SGMZ, all specified products lines under the scheme will also be eligible for incentives under this subcomponent.

2.3.3. Any firm or unit investing a minimum of ₹10 crore (excluding land and administrative buildings) for the manufacturing of sports goods shall be eligible to receive benefits under this subcomponent. In addition, it is desired that the eligible unit to create a minimum of 30 jobs within three years after commencing operations.

2.3.4. A total allocation of ₹670 crore is proposed under this subcomponent to support approximately 150 manufacturing units expected to avail benefits under this incentive.

2.4. SUPPORT FOR EXISTING CLUSTERS

2.4.1. Legacy sports goods clusters such as Meerut and Jalandhar may require focused support as these locations evolve into mature and well-established manufacturing ecosystems. Under this sub-component, a comprehensive program is proposed for upgrading existing cluster infrastructure and creating common facilities essential for enhancing productivity and competitiveness.

2.4.2. The total expenditure proposed under this sub-component is ₹ 86.67 crores. The support will be extended subject to the condition that the respective State Governments contribute not less than 50% of the project cost.

2.4.3. The interventions will be taken up based on detailed proposals submitted by the respective State Governments where such clusters are located. Detailed guidelines for the operationalization of this subcomponent will be issued once the scheme gets notified. These proposals will be examined, appraised and placed before the Approval and Monitoring Committee for consideration and approval.

2.5. TESTING & CERTIFICATION SUPPORT

2.5.1. Under the Testing & Certification Support sub-component, it is proposed to extend financial assistance to sports goods manufacturing companies for obtaining and renewing certifications from International Sports Federations. Support shall be provided up to 70% of the actual expenditure for first-time certification and 50% of the actual expenditure for renewal.

2.5.2. The total financial outlay proposed for this sub-component is ₹ 105 crore.

2.6. RESEARCH & SKILL DEVELOPMENT SUPPORT

2.6.1. Under the Research and Skill Development Support sub-component, premier educational institutions and research organisations shall be encouraged to establish Centres of Excellence (CoEs) within their campuses for undertaking research, development and innovation in sports goods manufacturing. Proposals for establishment of such CoEs shall be invited from eligible institutions in accordance with the prescribed guidelines and shall be examined and appraised by the Approval and Monitoring Committee.

2.6.2. Co-funding of sports goods manufacturing-specific research like material science, protective equipments, application of infrared thermography, precision manufacturing, 3D printing etc shall also be undertaken under the framework of the Anusandhan National Research Foundation (ANRF).

2.6.3. Provision of Viability Gap Funding (VGF) shall be made for the establishment of dedicated testing laboratories for sports goods, including facilities aligned with the standards and certification requirements of relevant International Sports Federations.

2.6.4. Skill development initiatives for the sports goods manufacturing sector shall be undertaken, including development of training programmes, skilling interventions, and collaboration with industry and training institutions to create a skilled manpower base for the sector.

2.6.5. An overall outlay of ₹210 crore is proposed for this sub-component, inter alia, for establishment of Centres of Excellence (CoEs), support under the ANRF, provision of VGF for testing laboratories, and skill development initiatives.

2.7. SUPPORT FOR START-UPS

2.7.1. The Start-up Support component shall be implemented through convergence with the existing DPIIT/Startup India framework, with a dedicated sports goods manufacturing priority/challenge window to support start-ups engaged in product innovation, design, prototyping, advanced materials, testing and validation, and manufacturing technologies. The Department of Sports shall, in consultation with DPIIT, identify priority challenge areas and facilitate participation of eligible start-ups through the existing Startup India ecosystem. Financial support of up to ₹20 lakh per eligible start-up shall be provided through the identified Startup India/DPIIT framework, subject to the applicable guidelines and funding modalities. The total financial outlay proposed for this component is ₹ 50 crores.

2.8. BRANDING & OUTREACH SUPPORT

Promotion of the Indian sports goods manufacturing sector is critical for enhancing global competitiveness, strengthening market access, and attracting investments. The sub component provides for structured promotion of the sector through outreach activities, international exhibitions, and branding & PR initiatives. An overall budgetary outlay of ₹50 crore has been proposed under this component for a period of 5 years.

2.8.1. GLOBAL SPORTS GOODS FAIRS & INTERNATIONAL EXHIBITIONS

The sub component shall support organization of international level global sports expo in India. These interventions will provide a platform for domestic manufacturers to showcase capabilities, facilitate B2B engagements, and strengthen export linkages.

2.8.2. OUTREACH ACTIVITIES

The sub-component shall support outreach activities, including investor outreach, roadshows, and engagement through bilateral and multilateral trade platforms related to sports. BSM and RBSM-related activities may be aligned with, or leveraged through, the Export Promotion Mission, wherever feasible, to avoid duplication of efforts and enhance the overall effectiveness of export promotion initiatives.

2.8.3. BRAND INDIA CAMPAIGN

Under this sub-component, the Department of Sports shall coordinate with the Department of Commerce to promote a unified 'Brand India' presence for Indian sports goods and equipment in international markets. A dedicated branding campaign may be undertaken at select global sports goods exhibitions and other high-visibility platforms to position India as a globally competitive hub for sports goods manufacturing. Such activities shall complement and not duplicate branding and marketing support available under the Export Promotion Mission.

3. IDENTIFICATION OF PRODUCT LINES:

3.1. Description of Products:

3.1.1. All sports equipment classified under HS Code 9506, along with other items primarily intended and used in sports, including para sports, and physical fitness, such as racing bicycles, sports nutrition products, sports gear, sportswear, athleisure footwear, headgear, accessories, sports flooring, etc shall be eligible for benefits under the Scheme.

3.1.2. Eligibility shall also extend to prototypes, calibration and measuring instruments, digital and display equipment, specialised software platforms, and other products which are predominantly used in or commonly associated with sports activities.

3.1.3. The Scheme shall further cover the manufacturing of key machinery, components, inputs, and sub-assemblies that are primarily utilised in the production of the aforementioned sports goods.

3.2. APPROVAL MECHANISM:

3.2.1. In cases where any question of eligibility determination arises with respect to a particular product, the matter shall be placed before the Approval and Monitoring Committee (AMC) constituted under the Scheme for consideration and appropriate clarification.

4. GOVERNANCE MECHANISM

4.1. Department for Sports shall constitute an Approval and Monitoring Committee (AMC) headed by the Secretary, Department of Sports, will monitor the implementation and progress of the schemes and will issue suitable instructions and necessary guidelines from time to time. This committee will also be examining all the proposals and if found in order, will approve such proposals and disburse the financial support. The committee will include senior officials, not below the rank of Joint Secretary, from NITI Aayog, Commerce, DPIIT, CBIC, IFD, MSME, Concerned State Government Representative or Other Central Ministries/Autonomous Bodies/Agencies Representatives, 3 Industry/Academia nominees.

The following are the key functional areas of the AMC for effective implementation and oversight of the Scheme:

- Examine applications recommended by PMA and make appropriate decisions under the scheme
- Approve and review the list of eligible products under target segments etc., periodically.
- Monitor the progress of approved applicants in terms of investment, employment generation, production and domestic value addition
- Monitor and review of the progress made under the scheme, including roundtable conference with the beneficiaries
- Recommend amendments to scheme guidelines, including changes to target segments, incentive rates, etc.
- In case of any clarification regarding the provisions of the scheme, the decision of the AMC shall be final
- In case of force majeure events, it may recommend modifications or withdrawal of specific scheme provisions.

5. ADMINISTRATION

An amount of 1.37% of the sanctioned amount may also be used for Administration of the scheme, including setting up of a dedicated Project Monitoring Agency (PMA)/ Project Implementing Unit (PIU) for efficient administration of this scheme.

6. GUIDELINES FOR THE OPERATION OF THE SCHEME

Detailed operational guidelines for each sub-component of the Scheme including the process for inviting applications and the mechanism for grievance redressal will be formulated and notified by the Department of Sports. These guidelines will outline the criteria for selection of eligible companies/units, procedures for effective monitoring of the Scheme, modalities for release of incentives and the coordination framework.

7. Financial Implications

Total Financial Outlay for Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme (2026-27 to 2033-34) (in Rs Crores)

S. No.	Component	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	2033-34	Total
1	Support for setting up Sports Goods Manufacturing Zone	30	50	45	45	30	0	0	0	200.00
2	Anchor Investment Support	0	1	40	83	142	118	56	20	460.00
3	Turnover Linked Support	0	0	50	160	220	110	80	50	670.00
4	Support for Existing Clusters	25	30	17	10	4.67	0	0	0	86.67
5	Testing and Certification Support	2	12	19	23	35	14	0	0	105.00
6	Research and Skill Development Support	26	27	55	61	41	0	0	0	210.00
7	Support for Start-ups	2	5	8	11	15	9	0	0	50.00
8	Branding and Outreach Support	12	25	1	11	1	0	0	0	50.00
A	**Total**	**97**	**150**	**235**	**404**	**488.67**	**251**	**136**	**70**	**1,831.67**
B	Administrative Expenses	4	5	5.50	5	5.50	0	0	0	25.00
	Grand Total (A+B)	**101**	**155**	**240.50**	**409**	**494.17**	**251**	**136**	**70**	**1,856.67**

The support under the Scheme shall be provided during FY 2026-27 to FY 2030-31. However, due to outcome-based incentive disbursements in subsequent years, the associated financial outgo may extend beyond the Scheme implementation period up to FY 2033-34 to meet committed liabilities.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA